न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीताराम बनाम हनुमान

फागा मु.नं.- 542/04

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
05.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर बरूए राजीनामा दिनांकित 02.08.2023 के स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
242 / 2004	2004 / 0004	16.10.2004	05.02.2024

उनवान प्रकरण

1. सीताराम पुत्र मुरलीधर
2. महेन्द्र पुत्र मुरलीधर

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––वादीगण

बनाम्

1. हणमान पुत्र पूराराम मृतक के बजाय :–

   1/1. गणेशराम पुत्र हणमान

   1/2. गुलाबी देवी पुत्री हणमान

   1/3. मनकोरी पुत्री हणमान

   1/4. गीता देवी पुत्री हणमान

2. तुलसा पुत्र भूराराम
3. लिछमण पुत्र भूराराम
4. बन्ना पुत्र भूराराम
5. किशनलाल पुत्र भूराराम मृत्तक के बजाय :–

   5/1 सन्ती देवी पत्नी स्व. किशनलाल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

5/2 गोविन्द पुत्र स्व. किशनलाल

5/3 मंजू पुत्री स्व. किशनलाल

5/4 महेन्द्र पुत्र स्व. किशनलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6. मंगली पत्नी चीमा

7. बीरबल पुत्र चीमाराम

8. नोलाराम पुत्र चीमाराम

9. बनवारीलाल पुत्र चीमाराम

10. रामचन्द्र पुत्र चीमाराम

11. बक्सीराम पुत्र चीमाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12. **झूंथाराम पुत्र मांगूराम मृत्तक के बजाय :–**

12/1 सुरजी देवी पत्नी स्व. झूंथाराम

12/2 आंची देवी पुत्री स्व. झूंथाराम

12/3 कमली देवी पुत्री स्व. झूंथाराम

12/4 झाबरमल पुत्र स्व. झूंथाराम

12/5 नन्छी देवी पुत्री स्व. झूंथाराम

12/6 बिदामी देवी पुत्री स्व. झूंथाराम

12/7 विमला देवी पुत्री स्व. झूंथाराम

12/8 मोहनलाल पुत्र स्व. झूंथाराम

12/9 दुर्गा देवी पुत्री स्व. सन्ती पुत्री स्व. झूंथाराम

12/10 प्रकाश पुत्री स्व. सन्ती पुत्री स्व. झूंथाराम

12/11 विकास पुत्री स्व. सन्ती पुत्री स्व. झूंथाराम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दि... सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

14. बंशीराम पुत्र चीमाराम

15. रामूराम पुत्र चीमाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनिया एड0 प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या—13 की ओर से।

वादपत्र ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आषय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 3685 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 3690 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 3691 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 3692 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 3693 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 1.62 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की वर्तमान में खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम अंकित चली आ रही है। उक्त भूमि का खातेदारो के मध्य करीबन 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था। बंटवारा के मुताबिक उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में आ गया था। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 3692, 3685, 3690 में से 0.15 हैक्टर भूमि हिस्से में आ गयी थी व प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 3691 व 3960 में से 0.47 हैक्टर भूमि हिस्से में आ गयी थी। खसरा नम्बर 1997 आम रास्ता व खसरा नम्बर 3693 को स्कूल में दान दे दिया था व खसरा नम्बर 3689 पुराना चाह था जिसको बराबर कर नया चाह खसरा नम्बर 3690 व 3685 के मध्य बना लिया था जिसमें लगे विद्युत कनैक्शन में वादीगण का 1/2 हिस्सा एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 हणमान का है व शेष प्रतिवादीगण के दीगर जमीन हिस्से मे आ गयी थी।. जिन पर वे काबिज काश्त हैं व वादीगण व प्रतिवादीगण उक्तानुसार अपने अपने हिस्से में आयी भूमियो पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 काफी चालाक व बाहुबली व्यक्ति है जो अपने बाहुबल व पैसो के बल पर वादीगण के 1/2 हिस्से को अपने कब्जे मे लेना चाहता है। उक्त भूमि में एक चाह करीबन 20 वर्ष पूर्व बना हुआ है जिस पर खेळी भी बनी हुयी है। उक्त खेळी पर वादीगण के पिता का नाम लिखा हुआ है। चाह विद्युत कनैक्शन में वादीगण के पिता का नाम भी होना चाहिये था लेकिन वे अनपढ़ व भोले व्यक्ति थे व हणमान बड़ा भाई होने के कारण उसने कनैक्शन में अकेला अपना नाम दिलाया जबकि वादीगण के पिता ने विद्युत कनैक्शन में बराबर के पैसे दिये थे। वादीगण उक्त वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है व काफी पैसे लगाकर व परिश्रम करके उपजाऊ एवं उन्नत बना ली है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है तथा वादीगण उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर अपना नाम अंकित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में अब बदयान्ति आ गयी है व वादीगण के हिस्से को हड़पना चाहता है। अर्सा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

05/04/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

करीब 10 दिन पूर्व एलानियां धमकी दी कि उक्त भूमि से तुम लोगो को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करूंगा व शेष प्रतिवादीगण को अपनी तरफ मिला लेने की धमकी दिये जाने पर उक्त वादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिशुपाल सिंह नारनोलिया एड0 उपस्थित आयें एंव शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 13 के बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 5, 12 की मृत्यु हो जाने तथा उनके वारिसान की ओर से प्रस्तुत कायम मुकामान् प्रार्थना पत्र के बाद सुनवाई स्वीकार होने पर उनके वारिसान में प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 व 12 के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4, 5/1 से 5/4, 12/1 से 12/11 को रिकार्ड पर लिया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 उपस्थित आयें एंव प्रकरण में वकील वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1/1 की ओर से राजीनामा दिनांक 02.08.2023 को पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण वारिसान के बावजूद असालतन तामील हाजिर अदालत नही आने पर वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5/1 से 5/4 व 12/1 से 12/11 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने व वकील प्रतिवादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 14 व 15 संयोजित किया गया। जिसे वादपत्र के शीर्षक में अंकित किया गया। प्रकरण में वकील प्रतिवादी नम्बर 1/1 की ओर से वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर दिये

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

03/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाने पर प्रकरण में तनकी विचरित नही की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में वादी सीताराम का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह बंशीधर व अर्जुनलाल के शपथ पत्र पेश हुये। वकील वादीगण ने प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी नम्बर 1/1 ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् जमाबन्दियॉ, नक्शा ट्रैस, इकरारनामा बाबत समझौता लेख दिनांकित 26.07.2004, पक्षकारान् के मध्य दिनांक 02.08.2023 को हुए राजीनामा व साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्ररत्त भूमियों का बाहमी बंटवारा वर्षो पूर्व पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के मध्य होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/4 के द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण पैत्रक भूमियों का हकत्याग अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 1/1 के हक में किया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 1/1 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाना तथा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों से वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिनके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत्

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती को बरूए राजीनामा दिनांकित 02.08.2023 के स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 3692 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 3685 रकबा 0.42 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 3690 में से उत्तरी दिशा की रास्ते के पास 0.20 हैक्टर भूमि अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता हैं व भूमि खसरा नम्बर 3691 रकबा 0.28 हैक्टर व खसरा नम्बर 3690 मे से 0.42 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का प्रतिवादी नम्बर 1/1 को काबिज खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण व शेष प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता हैं व भूमि खसरा नम्बर 1997 गै0मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 3693 जो स्कूल मे दान दे दिया हैं का वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1/1 को बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाकर अन्य प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)